प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

न्यायपीठ :- <u>माननीय श्री राजीव गुप्ता। मुख्य न्यायमूर्ति एवं</u>

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा। न्यायमूर्ति ।</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक/ 255/ 1994</u>

खोरबेहरा एवं अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

विचारण हेतु

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता</u>

मैं सहमत हूँ ।

सही/-

मुख्य न्यायमूर्ति

निर्णय हेतु दिनांक (07/03/2011) को सूचीबद्ध करें ।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

न्यायपीठ :- माननीय श्री राजीव गुप्ता। मुख्य न्यायमूर्ति एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति ।

दांडिक अपील क्रमांक/ 255/ 1994

अपीलार्थीगण 1. खोरबेहरा, उम्र 28 वर्ष, आत्मज तिलकराम ढीमर

2. दीनदयाल, उम्र 22 वर्ष, आत्मज त्रिलोचन धीमर

3. जनकराम उम्र 22 वर्ष आत्मज झंगरू साहू

सभी निवासी ग्राम भैंसा, पुलिस थाना खरोरा,जिला रायपुर

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य(वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अन्तर्गत दांडिक अपील)

उपस्थिति-: अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रेणु कोचर।

श्री अखिल मिश्रा, राज्य हेतु उप. शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(07.03.2011)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा** द्वारा उद्घोषित ।

1. यह अपील चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 226/92 में दिनांक 28.2.94 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध है। इस निर्णय में, अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है ।

2. तथ्य, संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि दिनांक 8.7.91 को लगभग 21.30 बजे, अपीलार्थियों एवं मृतक जीवनलाल ने शराब ली । आरोप है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 ने अपीलार्थी क्रमांक 2 एवं 3 के साथ मिलकर मृतक के शराब में ज़हर मिला दिया। मृतक ने

ज़हरीला शराब पिया था। जब उसे बेचैनी हुई, तो वह अपने घर भागा, उसे उल्टी होने लगी एवं उसने परिवार वालों को बताया कि उसे अपीलार्थी क्रमांक 1 ने ज़हरीली शराब दी थी। इसके पश्चात् मृतक की मृत्यु हो गई । मोहन लाल (अ.सा.-1) ने मर्ग सूचना (प्रदर्श पी / 1) दर्ज कराई। विवेचक ने घटनास्थल पर पहुंचकर, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी/2) दिया एवं मृतक का मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श पी/3) तैयार किया। मृतक के शव को ज्ञापन प्रदर्श पी/12 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खरोरा में शव परीक्षण हेतु भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. डी.एन. बिजवे (अ.सा.-16) द्वारा किया गया । उन्होंने देखा कि चेहरा नीला था, दोनों हाथों एवं पैरों के नाखून भी नीले थे; एवं मुंह से झाग निकल रहा था। शव-परीक्षक ने अभिमत दिया कि मृत्यु का कारण संदिग्ध ज़हर के कारण सांस लेने में हुई परेशानी से दम घुटना था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी/13 है। उसने आंत, फेफड़े, यकृत एवं गुर्दे के टुकड़े भी सुरक्षित रखे एवं रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस आरक्षक होसलाप्रसाद क्रमांक 896 को सौंप दिए। विवेचना के दौरान मृतक की उल्टी प्रदर्श पी/5 के अनुसार जब्त किए गए, दो गिलास प्रदर्श पी/9 के अनुसार जब्त किए गए, एक शराब की बोतल प्रदर्श पी/4 के अनुसार जब्त की गई। अपीलार्थी खोरबेहरा को अभिरक्षा में लिया गया एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका अभियुक्त कथन (प्रदर्श पी/8) दर्ज किया गया एवं उसकी निशानदेही पर जब्ती प्रतिवेदन प्रदर्श पी/9 के अनुसार डेमोक्रोन (कीटनाशक) का एक कंटेनर जब्त किया गया। मृतक की उल्टी, शराब की बोतल, स्टील का गिलास, पीतल का गिलास एवं डेमोक्रान का कंटेनर रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजे गए, जिसका प्रतिवेदन प्रदर्श पी/12 था, जहाँ से एक प्रतिवेदन प्रदर्श पी/15, मिली। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन के अनुसार, उल्टी एवं प्लास्टिक कंटेनर में थेमेट (ऑर्गेनो फॉस्फोरस कीटनाशक) पाया गया, हालाँकि शराब की बोतल एवं दोनों गिलासों में कोई ज़हरीला पदार्थ नहीं मिला। सामान्य विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, अभियोग पत्र रायपुर के न्यायायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिन्होंने प्रकरण को संबंधित सत्र न्यायालय में उपार्पीत कर दिया, जहाँ से यह प्रकरण स्थानांतरित होकर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष आया, जिन्होंने विचारण किया एवं अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्तानुसार दण्ड अधिरोपित किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थियों की दोषसिद्धि बृज बाई (अ.सा.-2 - मृतक की माँ), चैतराम (अ.सा.-6 - मृतक के चाचा) एवं चैतुरम (अ.सा.-8 - मृतक के पिता) के कथनों पर आधारित है। अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उस दुर्भाग्यपूर्ण रात्रि को, अचानक, मृतक अपने घर आया एवं गिर गया एवं ऊपर बताए गए 3 साक्षियों के समक्ष मौखिक मृत्युकालीन कथन दिया कि अपीलार्थियों ने शराब में ज़हर मिलाकर उसे पिला दिया था।

4. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती रेनू कोचर ने तर्क दिया कि मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) पहली जानकारी थी जिसमें अपीलार्थियों द्वारा ज़हर देने का कोई ज़िक्र नहीं था; यहाँ तक कि शव परीक्षण के समय भी ऊपर दर्शाये गए 3 साक्षियों ने ज़हर देने की बात नहीं बताई, जबकि वे शव परीक्षण के साक्षी थे; हालाँकि आतंरिक हिस्सों को शव परीक्षक ने सुरक्षित रखा था एवं पुलिस अधीक्षक को सौंप दिया था, किन्तु उसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया, जबकि दूसरी साधारण वस्तुओं को भेजा गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, यह सभी उचित संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ था कि मृतक की मृत्यु ज़हर देने की वजह से हुई थी। वास्तव में, प्रारंभ में अभियोजन का प्रकरण यह था कि मृतक की मृत्यु अधिक शराब पीने से हुई थी, किन्तु बाद में, मृतक के पूर्वोक्त दर्शाये गए रिश्तेदार साक्षियों ने ज़हर देने की कहानी में परिवर्तन कर दिया एवं कहा कि मृतक ने उनके समक्ष मृत्युकालीन कथन मौखिक रूप से दिया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान उपशासकीय अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने इन तर्कों का विरोध किया एवं सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना एवं सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया ।

7. शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस सी सी 116 के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ज़हर से मृत्यु के प्रकरण में न्यायालय को साक्ष्यों की सावधानी से विष्लेषण करनी चाहिए एवं चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए जो एकमात्र ही दोषसिद्धि को उचित ठहरा सकती हैं:

(1) आरोपी के समक्ष मृतक को ज़हर देने का एक स्पष्ट उद्देश्य हो,

(2) यह कि मृतक की मृत्यु उस ज़हर से हुई हो जो उसे दिया गया था,

(3) यह कि आरोपी के पास ज़हर हो,

(4) यह कि उसे मृतक को ज़हर देने का अवसर मिला हो ।

8. इस प्रकरण में, यदि हम मर्ग सूचना (प्रदर्श पी/1) को देखें, तो उसमें मृतक को ज़हर देने के बारे में कोई ज़िक्र नहीं है। उसमें सिर्फ़ इतना लिखा था कि मृतक एवं आरोपी व्यक्तियों ने शराब पी एवं उसके पश्चात् मृतक अपने घर आया एवं अपनी माँ को बताया कि उसे बेचैनी हो रही है एवं इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग सूचना मृतक के सगे भाई मोहन लाल (प्रदर्श पी-1) ने दर्ज करवाई थी। यदि मृतक ने ऊपर दर्शाये गए साक्षियों के समक्ष मौखिक मृत्युकालीन कथन दिया होता, तो उसका ज़िक्र मर्ग सूचना में अवश्य होता, जो पुलिस को दी गई प्रथम सूचना थी। मोहन लाल (अ.सा.-1) के साक्ष्य से यह जानकारी होता है कि जब मृतक घर आया था, तब वह घर में उपस्थित था। मोहन लाल (अ.सा.-1) ने न्यायालय में कथन किया कि मृतक ने मृत्यु से पहले मृत्युकालीन कथन दिया था। उसने यह सब पुलिस को तब सूचना दिया जब उसने मर्ग सूचना दी थी एवं यदि यह तथ्य मर्ग सूचना में उल्लिखित न हो, तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यानी, वह मर्ग की सूचना में मौखिक मृत्यु से पहले दिए गए मृत्युकालीन कथन जैसी आवश्यक तथ्य के रह जाने का कारण नहीं बता सका, जबकि उसमें अन्य समस्त विवरण उपलब्ध थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. बृज बाई (अ.सा.-2), चैतराम (अ.सा.-6) एवं चैतुराम (अ.सा.-8) के साथ भी ऐसी ही परिस्थिति है। उन सभी ने कथन किया है कि मृतक ने उनके समक्ष अपीलार्थी क्रमांक- 1 द्वारा ज़हर दिए जाने के बारे में मौखिक मृत्युकालीन कथन दिया था। यदि मृतक ने वास्तव में मौखिक मृत्युकालीन कथन दिया होता, तो यह तथ्य मृतक के सगे भाई द्वारा दर्ज कराई

गई मर्ग सूचना में बताई गई होतीं, जो घर का ही सदस्य था एवं उस समय वहीं मौजूद था। हमने पाया कि ऊपर के तीनों साक्षी पंचनामा (प्रदर्श पी./3) के साक्षी थे। उस समय, उन्होंने यह जानकारी नहीं दिया कि मृतक ने उनके समक्ष ऐसा मौखिक मृत्युकालीन कथन दिया था। इसके विपरीत, उन्होंने पंचनामे में बताया कि मृतक की मृत्यु अधिक शराब पीने से हुई थी। श्रीमती कोचर ने तर्क दिया है कि मोहन लाल (अ.सा.-1) सहित ऊपर दर्शाए गए समस्त साक्षी मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके कथन पर विश्वाश नहीं किया जा सकता। विधि में यह उचित सिद्धांत नहीं है। नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 ए आई आर उच्चतम न्यायालय साप्ताहिक 1835 में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो साक्षी मृतक या अपराध के पीड़ित का रिश्तेदार है, उसे 'हितैषी' नहीं कहा जा सकता। 'हितैषी' शब्द का अर्थ है कि साक्षी का किसी विद्वेष या किसी अन्य गलत उद्देश्य से आरोपी को किसी भी तरह दोषी ठहराने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी करीबी रिश्तेदार को 'हितैषी' साक्षी नहीं कहा जा सकता। वह एक 'साधारण ' साक्षी होता है। हालांकि, उसके साक्ष्य की सावधानी से जांच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जांच में, उसके साक्ष्य भरोसेमंद, स्वाभाविक रूप से संभावित एवं पूर्ण रूप से विश्वसनीय पाए जाते हैं, तो दंड सिर्फ़ ऐसे साक्षी के कथन के आधार पर दी जा सकती है। साक्षी का मृतक या पीड़ित के साथ करीबी रिश्ता उसके साक्ष्य को अमान्य करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार सामान्यतः वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने एवं किसी निर्दोष को झूठा फंसाने से सबसे अधिक हिचकिचाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम इन साक्षियों के साक्ष्यों को विस्तार से जांच करें, जो मृतक के करीबी रिश्तेदार थे, जैसे भाई, माँ, पिता एवं चाचा, तो हम पाते हैं कि उपरोक्त कमियों के आधार पर मौखिक मृत्युकालीन कथन के मामले में उनके साक्ष्य पूरी तरह विश्वसनीय नहीं थे एवं हमारा मानना है कि यह सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध नहीं हुआ कि वास्तव में, मृतक ने अपनी मृत्यु से पूर्व इन साक्षियों के समक्ष मौखिक मृत्युकालीन कथन दिया था ।

11. अभियोजन पक्ष के प्रकरण में एक और बड़ी त्रुटि यह है कि आंतरिक अंग, जिसे चिकित्सक ने सुरक्षित रखा था एवं संबंधित पुलिस आरक्षक को सौंपा था, उसे रासायनिक

परीक्षण हेतु न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया। डॉ. डी.एन. बिजवे (अ.सा.-16) ने कथन किया है कि शव परीक्षण के पश्चात, आँत, फेफड़े, यकृत, गुर्दे इत्यादि के टुकड़े उनके द्वारा सुरक्षित रखे गए थे एवं आरक्षक - होसलाप्रसाद (896) को सौंप दिए गए थे। आरक्षक- होसलाप्रसाद का परीक्षण अ.सा.-12 के रूप में की गई है। उन्होंने कथन किया है कि वह मृतक के शव को शव परीक्षण जांच हेतु लेकर गए थे । शव परीक्षण संबंधित चिकित्सक ने किया था । शव परीक्षण के पश्चात, चिकित्सक ने उन्हें सील किए हुए आंतरिक अंगों का पैकेट सौंपा, जिसे वह पुलिस थाना लाए एवं उन्होंने उसे पुलिस थाने में जमा कर दिया। उनका कर्तव्य प्रमाणपत्र प्रदर्श पी./11-अ के रूप में सिद्ध हुआ है। उक्त ज्ञापन में, जो रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को भेजे गए वस्तुओं के साथ भेजा गया था (प्रदर्श पी./12), हमने पाया कि रासायनिक परीक्षण हेतु केवल 5 वस्तुयें भेजी गई थीं। वे थे उल्टी, शराब की बोतल, स्टील का गिलास, पीतल का गिलास एवं डेमोक्रोन का प्लास्टिक पैकेट। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक अंगों को कभी भी रासायनिक परीक्षण हेतु न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला, सागर को नहीं भेजा गया था। इससे अभियोजन के पूरे प्रकरण पर संदेह पैदा होता है। अभियोजन पक्ष की विवेचना में उपरोक्त लोप घातक थी। क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो सका कि मृतक की मृत्यु ज़हर से हुई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया था कि उसे ज़हर दिया गया है । शरद बिरदीचंद (पूर्वोक्त) प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि ज़हर से मृत्यु के प्रकरण को सिद्ध करने हेतु यह एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। अभिलेख पर उपलब्ध ऊपर दर्शाये गए साक्ष्यों के आधार पर, हम पाते हैं कि तथापि शव परीक्षण में, चिकित्सक ने अभिमत दिया था कि यह संदिग्ध विषाक्त का प्रकरण हो सकता है, किंतु अभियोजन पक्ष समस्त उचित संदेहों से परे यह सिद्ध नहीं कर सका कि यह वास्तव में विषाक्त का प्रकरण था एवं अपीलार्थियों ने मृतक को ज़हर दिया था, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. श्री अखिल मिश्रा ने तर्क दिया कि मृतक की उल्टी में ज़हर पाया गया था। अभियोजन के अनुसार, उल्टी को दिनांक 9.7.91 को सुबह 8.45 बजे जब्त किया गया था एवं जब्ती प्रतिवेदन प्रदर्श पी /5 तैयार किया गया था। भगबली वर्मा (अ.सा.-4) जब्ती के साक्षियों में से एक है, उन्होंने अपने समक्ष ऐसी किसी भी उल्टी की जब्ती से इनकार किया। जब्ती का दूसरा साक्षी सोनसाई (अ.सा.-9) है। हालांकि उसने कहा कि उल्टी को पुलिस ने जब्त किया था, किन्तु उसने यह नहीं कहा कि पुलिस ने उसके समक्ष उल्टी को सीलबंद किया

था। इन 2 साक्षियों के साक्ष्यों पर ठीक से विचार करने के पश्चात, हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि पुलिस ने जो उल्टी कथित तौर पर जब्त किया था, वह वास्तव में जब्ती प्रतिवेदन में बताए अनुसार जब्ती के स्थान पर सीलबंद की गई थी। इसके अलावा, यह तथ्य कि यह उल्टी मृतक के मृत्यु से पूर्व की थी, उपरोक्त दर्शाए गए 4 रिश्तेदार साक्षियों की मौखिक साक्ष्य पर आधारित थी, जिन्हें हम पहले ही अविश्वसनीय मान चुके हैं। इसलिए, केवल मृतक के बताए गए उल्टी में ज़हर मिलने से, अभियोजन पक्ष के प्रकरण में दर्शाए गए त्रुटियों को देखते हुए कोई अंतर नहीं पड़ेगा।

13. उपरोक्त कारणों से, हम अपीलार्थियों को धारा 302/34 भारतीय दंड संहिता के तहत हम इस दोषसिद्धि को बनाए रखने में असमर्थ हैं एवं इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

14. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दिए गए दंड एवं दोषसिद्धि को अपास्त की जाती है। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायमूर्ति

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नही किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Shri Prahlad Panda, Advocate.